न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवांड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 11/2020 राजस्व वाद

श्री जगन्नाथ सिंह पुत्र श्री अमर सिंह राजपूत आयु वयस्क निवासी– कानजी का खेड़ा पटवार हल्का चिलेश्वर तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) –– वादी

बनाम

1. बादर खां पुत्र श्री कालू खां मुसलमान आयु वयस्क निवासी– कानजी का खेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

–– प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा– 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

बाबत कब्जा दिलाये जाने हेतु.

उपस्थित :–

1. श्री मुकेश कुमार जैन –अधिवक्ता प्रार्थी/वादी
2. पेरोकार सरकार –अधिवक्ता–प्रतिवादी

:: निर्णय ::

दिनांक– 29/03/2022

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्व धारा 183 आर.टि. एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि वादी के खातेदारी हक अधिकार की कृषि आराजी सरहद कानजी का खेड़ा पटवार हल्का चिलेश्वर भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गोरख्या तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा के खाता संख्या 12 मे आराजी नम्बर 78 रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा भूमि अन्य आराजियात के साथ स्थित है। जो वादी के खातेदारी हक अधिकार की होकर राजस्व रेकार्ड मे वादी के नाम पर दर्ज है। वादी वादपत्र की चरण संख्या 01 मे वर्णित आराजी पर काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है तथा वादी ने उक्त आराजीयात की पत्थरगढी कराने हेतु एक प्रार्थनापत्र न्यायालय श्रीमान् उपखण्ड़ अधिकारी महोदय, माण्डल जिला भीलवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत किया जिसके प्रकरण संख्या 636/2014 राजस्व प्रार्थनापत्र कायम हुए, जिसका निर्णय दिनांक 05 पांच दिसम्बर 2014 दो हजार चौदह को हुआ। प्रतिवादी संख्या 01 एक द्वारा बिना वादी की अनुमति के वादी की उक्त आराजी के 01 बिस्वा भूमि पर कब्जा कर कुआ खोद लिया व अपनी भूमि में मिला दिया, दिनांक 23 तैबीस दिसम्बर 2014 दो हजार चौदह को भू अभिलेख निरीक्षक व पटवारी द्वारा मौका

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 17:36:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

पर्चा बनाया गया, जिसमे प्रतिवादी संख्या 01 एक का वादी की आराजी नम्बर 78 रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा मे से 01 एक बिस्वा अवैध कब्जा पाया गया।

यह है कि वादी ने प्रतिवादी संख्या 01 एक को कई बार वादपत्र की चरण संख्या 01 एक मे वर्णित आराजी नम्बर 78 रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा मे से 01 बिस्वा भूमि पर किये कब्जे को छोडने हेतु कहा , तो प्रतिवादी संख्या 01 एक हर बार टालमटोल करता रहा व आज दिन तक कब्जा नही छोडा व अन्तिम बार वादी ने दिनांक 01 एक मार्च 2020 दो हजार बीस को उक्त आराजी पर किये गये अवैध कब्जे को छोड़कर, उक्त भूमि का कब्जा वादी को सिपुर्द करने हेतु कहा तो प्रतिवादी संख्या 01 एक साफ तौर इंकार कर दिया। अन्त मे प्रार्थना दर्ज करते हुए प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा किये गये कब्जे को हटाकर कब्जा दिलाने का निवेदन किया गया।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किया गया व प्रतिवादीगण उपस्थित हुए, आगामी पेशी पर प्रतिवादी संख्या 01 उपस्थित नही होने से एकपक्षीय कार्यवाही की गयी।

वादी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। प्रकरण मे उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वादपत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए वादपत्र को डिक्री करने का निवेदन किया गया।

मैने पक्षकारान के अधिवक्ता की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया , पटवार हल्का एवं भू अभिलेख निरीक्षक की पत्थरगढ़ी आदेश पर तैयार किये गये पर्चा मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया, मौका रिपोर्ट मे भी वादी की खातेदारी भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 का अवैध कब्जा पाया गया। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वादपत्र स्वीकार योग्य ठहरता है। अत एव

:: आदेश ::

वादी का वादपत्र स्वीकार कर पत्थरगढ़ी पर्चा मोका रिपोर्ट अनुसार प्रतिवादी संख्या 01 एक ने सरहद कानजी का खेड़ा पटवार हल्का चिलेश्वर भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र गोरख्या तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा के खाता संख्या 12 मे आराजी नम्बर 78 रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा मे से 01 बिस्वा पर कर रखे कब्जे को हटाया जाकर वादी को सिपुर्द कराया जावे। इस निर्णय की पालना मे तहसीलदार, करेड़ा को तहरीर जारी कर पालना सुनिश्चित करायी जावें व इसी अनुसार डिक्री जारी की जावे। आवश्यकता पडने पर पुलिस इमदाद प्राप्त की जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 29/03/2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 17:36:42 IST
Reason: SelfAttested

(... पाल सिंह)
उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

न्यायालय : उपखण्ड़ अधिकारी करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

:: मूल वाद मे डिक्री ::
(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

पीठासीन अधिकारी :– महिपाल सिंह, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर 11/2020 राजस्व वाद
वादपत्र अन्तर्गत धारा– 183 आर.टि.एक्ट

श्री जगन्नाथ सिंह पुत्र श्री अमर सिंह राजपूत आयु वयस्क निवासी– कानजी का खेड़ा पटवार हल्का चिलेश्वर तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) –– वादी

बनाम

3. बादर खां पुत्र श्री कालू खां मुसलमान आयु वयस्क निवासी– कानजी का खेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

–– प्रतिवादीगण

–––

वादी की ओर से श्री मुकेश कुमार जैन , एडवोकेट और प्रतिवादी की ओर से अनुपस्थित की उपस्थिति मे इस वाद के आज दिनांक 29/03/2022 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और डिक्री की जाती है कि वादी और इस मद के खर्चे लेखो प्रतिशत रूपयो की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा राशि **शून्य** को दी जायें।

वादी की ओर से प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार कर वादी का वादपत्र स्वीकार कर पत्थरगढ़ी पर्चा मोका रिपोर्ट अनुसार प्रतिवादी संख्या 01 एक ने सरहद कानजी का खेड़ा पटवार हल्का चिलेश्वर भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र गोरख्या तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा के खाता संख्या 12 मे आराजी नम्बर 78 रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा मे से 01 बिस्वा पर कर रखे कब्जे को हटाया जाकर वादी को सिपुर्द कराया जावे। इस निर्णय की पालना मे तहसीलदार, करेड़ा को तहरीर जारी कर पालना सुनिश्चित करायी जावें व इसी अनुसार डिक्री जारी की जावे। आवश्यकता पडने पर पुलिस इमदाद मे कब्जा सिपुर्द किया जावे। इसी अनुसार निर्णय व डिक्री की पालना हो। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करे।

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा
(महीपाल सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड़ अधिकारी,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 17:36:42
Reason: SelfAttested

आज दिनांक 29/03/2022 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा
(महीपाल सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड़ अधिकारी,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा